

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5412 /

जबलपुर, दिनांक 19/12/2019

II-15-2/79 Pt- IX

श्रीमती दीपा उपाध्याय, असिस्टेंट ऐडिटर आई.एल.आर., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3/9/2001/1/3 दिनांक 25.07.2001, 07.08.2001 में दिए गये निर्देश एवं ज्ञापन क्रमांक सी-3-11/2016/1/3 दिनांक 9 फरवरी 2017 में निहित शर्तों एवं प्रावधान के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक जीवित पुत्र के रहते हुए पति का Sterilization Surgery कराये जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षण नियमों के अनुसार ऑपरेशन दिनांक 04/07/2019 से दो अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किया जाता है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृ० क्रमांक C/5413 /

जबलपुर, दिनांक 19/12/2019

II-15-2/79 Pt- IX

प्रतिलिपि :-

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
 2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 3. ए.ओ. (जे.), लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 4. सहायक वेतन निर्धारण/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. श्रीमती दीपा उपाध्याय, असिस्टेंट ऐडिटर आई.एल.आर., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)

:: - ::